न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :–

अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्या:–21/20 ई.दी

निर्णय दिनांक:–23.03.2021

1 श्री कल्पेश पिता मकर जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री अरजन पिता मानजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

2 श्रीमती कमला पत्नि मानजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

3 श्रीमति काउडी पत्नि जवाहरलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

4 श्री गणपत पिता मानजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

5 श्री छगन पिता जवाहर जाति भील उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

6 श्री नारायण पिता कालिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

7 मरीयम पिता जवाहर जाति भील उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

8 श्री वलमा पिता मानजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

9 श्रीमती लक्ष्मी पत्नि मकर जाति भील उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

10 श्रीमती वारी पत्नि जवाहर जाति भील उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

11 श्री वासु पिता जवाहर जाति भील उम्र वयस्क निवासी बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल जिला डूगरपुर राजस्थान।

12 श्री मान तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय तहसील झौथरीपाल जिला डुगंरपूर राज.।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थानी काश्तकारी

अधिनियम व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री कपिलदेव रोत वादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी व प्रतिवादीगण गांव बावडीखेडा तहसील झौथरीपाल के स्थायी निवासी है। मेहनत मजदुरी व कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है।

कमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम बावडीखेडा में खाता संख्या 17 खसरा नम्बर कमशः 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 215, 22, 23, 26 खेत किता 15 कुल रकबा 2.6769 हैक्टेयर होकर स्थित है। वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादी व प्रतिवादीगण का यथावत रूप से बना हुआ है। वादी ने संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजीयात पर लोन लेने हेतु वादी ने खाते की नकले निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादी के पिता मकर के फोत हो जाने के पश्चात विरासती आराजी में कलु का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि कलु नाम का मकर के कोई लडका नहीं है। जबकि वादी मकर का पुत्र होकर विधिक वारिसान होने के बावजुद वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से पर वादी ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर मकर की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरणकरण की प्रति परत निकलवाई तो पता चला की नामांतरणकरण के समय राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवंश वादी का नाम अंकित नहीं कर कलु नाम दर्ज कर दिया है। जबकि कलु नाम का कोई लडका नहीं हैं। ऐसे में वादी ने राजस्व कर्मचारी व प्रतिवादीगण से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन प्रतिवादीगण ने अब तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। राजस्व कर्मचारी से निवेदन कर रिकॉर्ड दूरस्त करने की बात की लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि मे पेश है। इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम बावडीखेडा में खाता संख्या 17 खसरा नम्बर कमशः 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 215, 22, 23, 26 खेत किता 15 कुल रकबा 2.6769 हैक्टेयर में कलु का नाम हटाकर कर वादी कल्पेश पिता मकर का नाम दर्ज कर वादी कल्पेश पिता मकर को वादग्रस्त आराजी के हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी खातेदार काश्तकार है। ग्राम बावडीखेडा में खाता संख्या 17 खसरा नम्बर कमशः 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 215, 22, 23, 26 खेत किता 15 कुल रकबा 2.6769 हैक्टेयर स्थित है। वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादी कल्पेश पिता मकर अन्य सहखातेदारों का अपने अपने हिस्से पर यथावत रूप से बना हुआ है। वादी के पिता मकर के फोत हो जाने के पश्चात विरासती आराजी में कलु का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में कलु पिता मकर की जगह कल्पेश पिता मकर का नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

कमशः पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है ग्राम बावडीखेडा में खाता संख्या 17 खसरा नम्बर क्रमशः 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 215, 22, 23, 26 खेत किता 15 कुल रकबा 2.6769 हैक्टेयर में कलु पिता मकर की जगह कल्येश पिता मकर का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाड़ा